अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 37/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

हरिमोहन साहू पुत्र श्री रामफुल साहू, जाति तेली, निवासी मकान नम्बर 89, पशुपति नाथ कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।

अपीलार्थीगण

वनाम

1. रामफुल साहू पुत्र श्री लच्छीराम साहू
2. श्रीमती सीता बाई पत्नी रामफूल साहू

समस्त निवासी मकान नम्बर 89, पशुपति नाथ कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

3. बुद्विप्रकाश साहू पुत्र श्री रामफूल साहू, जाति तेली निवासी मकान नम्बर 92, पशुपति नाथ कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर।
4. महावीर प्रसाद साहू पुत्र श्री रामफूल साहू, जाति तेली, निवासी मकान नम्बर 44 बी, श्याम विहार, गिरधारीपुरा, धावास रोड, जिला जयपुर।
5. कमलेश कुमार साहू पुत्र श्री रामफूल साहू, जाति तेली, निवासी मकान नम्बर 36 बी, श्याम विहार, गिरधारीपुरा, धाबास रोड, जिला जयपुर।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 20.07.2023 उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर जयपुर शहर उत्तर प्रकरण संख्या 06/2023 ब उनवानी रामफूल बनाम हरिमोहन व अन्य।

उपस्थितः–

1. अपीलार्थीगण मय प्रतिनिधि उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 मय प्रतिनिधि उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 09.02.2026**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 06/2023 ब उनवानी रामफूल साहू बनाम हरिमोहन व अन्य में पारित निर्णय दिनाक 20.07.2023 से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 12256/2023 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2024 की पालना में अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री हरीश सी. करोडीवाल अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 स्वयं उपस्थित आये किन्तु आगामी पेशी पर उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–5 एवं 23 अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2005 एवं नियम 4 (1) राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ अधिकरण ने प्रकरण दिनांक 06.10.2022 को आंशिक स्वीकार कर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को प्रतिमाह 2000–2000/–रूपये भरण पोषण राशि दिये जाने के आदेश दिये गये है जिसकी अपील प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपील न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर में अपील संख्या 28/2022 पेश की गई जिसमें अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.01.2023 को अधीनस्थ अधिकरण को प्रतिप्रेषित कर सम्पति से बेदखल के बिन्दु पर पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर निर्णित किया जावे। अधीनस्थ अधिकरण ने बिना वास्तविक साक्ष्यों व तथ्यों पर गौर नहीं करे बगैर भावुकता में बहकर मकान खाली करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2023 को पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष पीटीशन पेश कर अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया जाकर दिनांक 29.08.2024 की पालना में अपील प्रस्तुत की गई है। अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2005 एवं नियम 4 (1) राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रार्थी केवल भरण पोषण राशि प्राप्त करने का प्रावधान है ना कि पुत्रों को निवास स्थान से बेदखल करने का इस अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने दुरभि संधि कर अपीलान्ट को उक्त वादग्रस्त मकान को खाली करवाने के उद्देश्य से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर के गलत व मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर परिवाद पेश किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने मिलकर अपीलान्ट के विरूद्ध बिना किसी झगड़े व बिना किसी मारपीट के ही झूंठी रिपोर्ट दर्ज करवा–करवाकर झूंठे साक्ष्य जुटाकर अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पेश कर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। विवादित सम्पति में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने के बाद आज तक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक भी झगडे व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पेश की गई सभी रिपोर्ट झूंठ पर आधारित थी जो केवल अपीलान्ट को वादग्रस्त मकान खाली करवाने के लिये पेश की गई थीं। विवादित मकान के बाबत न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1 में सिविल वाद विचाराधीन है जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 15.02.2024 को वादग्रस्त मकान की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये है इस लिहाज से उक्त वादग्रस्त मकान के स्वामित्व के संबंध में सिविल वाद का निस्तारण नहीं हो जाने के कारण अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

योग्य अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष दिनांक 20.12.2021 को अपीलान्ट के विरूद्ध अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2005 एवं नियम 4 (1) राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें अधीनस्थ अधिकरण ने आंशिक स्वीकार करते हुये दिनांक 06.10.2022 को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को प्रतिमाह 2000–2000/–रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि अदा करने के आदेश पारित किये गये जिससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपीलीय न्यायालय में अपील संख्या 28/2022 प्रस्तुत की गई जिसको माननीय अपीलीय अधिकरण ने सुनकर दिनांक 10.01.2023 को सम्पति से बेदखली के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु पर पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ अधिकरण ने पक्षकारों को सुनकर दिनांक 20.07.2023 को विवादित मकान खाली करने का आदेश पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने एक सिविल रिट पिटीशन संख्या 12256/2023 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में प्रस्तुत की जिसको माननीय न्यायालय ने दिनांक 29.08.2024 को खारिज करते हुये आदेशित किया कि अधीनस्थ अधिकरण के विरूद्ध सीधे तौर पर इस न्यायालय में रिट पिटीशन मेन्टेनेबल नहीं है तत्पश्चात अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट व उसके परिवार द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को लगातार परेशान, अभद्रता, गाली गलौच व मारपीट की जा रही है जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 347/2021 दर्ज करवाई गई जो न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–6 जयपुर महानगर द्वितीय में प्रकरण संख्या 540/2023 विचाराधीन है इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के विरूद्ध न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर के प्रकरण संख्या 1665/2023 में धारा–107, 116, 151 द.प्र.स. में पाबन्दी का आदेश एवं न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर के प्रकरण संख्या 7323/2024 अन्तर्गत धारा–126, 135 बी.एन.एस.एस. एवं प्रकरण संख्या 7887/2025 अर्न्तगत धारा 126, 135 के तहत पाबन्दी के आदेश किये हुये है। अपीलान्ट एवं उसकी पत्नी श्रीमती मीना देवी ने मिलिभगत करके एक झूंठा सिविल मुकदमा न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–1 जयपुर महानगर द्वितीय में दीवानी प्रकरण संख्या 04/2024 व दावा संख्या 8/2024 प्रस्तुत कर वादग्रस्त सम्पति के यथास्थिति के आदेश पारित करवा लिये जो कि दिनांक 17.11.2025 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। वर्तमान में वादग्रस्त सम्पति के संबंध में कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 वरिष्ठ नागरिक है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित सम्पति प्लाट नम्बर 89, पशुपतिनाथ कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर, जिला जयपुर अपीलान्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 07.02.2012 को अपनी माता श्रीमती सीता बाई पत्नी रामफूल साहू को विक्रय कर दिया जिससे प्रत्यर्थी संख्या 2 श्रीमती सीता बाई को मालिकाना हक प्राप्त होता है। अपीलान्ट द्वारा उक्त सम्पति के प्रतिफल के रूप प्रत्यर्थी संख्या 2 से 3,80,000/–रूपये प्राप्त कर लिये गये है जिससे अपीलान्ट को उक्त सम्पति पर किसी भी प्रकार से मालिकाना हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में पुलिस कार्यवाही की गई जिसमें अपीलान्ट को शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु संबंधित न्यायालय द्वारा पाबन्द भी किया गया है। माननीय न्यायालय अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–1 जयपुर महानगर द्वितीय में विवादित भूमि के संबंध में प्रकरण संख्या 04/2024 व दावा संख्या 8/2024 में वादग्रस्त सम्पति के यथास्थिति के आदेश पारित किये गये थे जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 17.11.2025 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है, वर्तमान में वादग्रस्त सम्पति के संबंध में स्थगन आदेश प्रभावी नहीं रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्लाट नम्बर 261, श्रीनाथ रेजीडेन्सी, डाबला खुर्द–डिग्गी रोड, वार्ड नम्बर 64 जिला जयपुर को अपीलान्ट के नाम से द–राजस्थान कॉ–आपरेटिव

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड द्वारा जारी आवंटन पत्र से जाहिर होता है कि अपीलान्ट की स्वयं की सम्पति उपलब्ध है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2023 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को नि: शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner